पत्रांक–10/स्था0 व्यय आवं0–15/2025 69/आ0रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
गुमला, धनबाद, गढ़वा, गोड्डा एवं सिमडेगा।

राँची, दिनांक– 15-10-2025

विषयः– स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष–2052–सचिवालय सामान्य सेवाएँ, लघुशीर्ष–092 – अन्य कार्यालय, उपशीर्ष–04–भू–अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में वेतन एवं अन्य इकाईयों में कुल ₹74,37,805/– (रूपये चौहत्तर लाख सैंतीस हजार आठ सौ पाँच) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभिन्न इकाईयों में तथा अगले चार माह के लिए वेतन इकाई में कुल ₹74,37,805/– (रूपये चौहत्तर लाख सैंतीस हजार आठ सौ पाँच) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिले के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं 338/बजट, दिनांक–28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

6. वेतन इकाई में आवंटित राशि के अतिरिक्त अन्य मदों में आवंटित राशि के विरूद्ध हुए व्यय की निकासी यथासंभव उसी माह/अगले माह में करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या–40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

9. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।

10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

14/X

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 69/3110 राँची, दिनांक– 15-10-2025

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/X/XXV

सरकार के सचिव।

संख्या—10 / स्था. व्यय आवं—15 / 2025......69/राज.......राँची, दिनांक— 15-10-2025

स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष—2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएँ, लघु शीर्ष—092—अन्य कार्यालय, उप शीर्ष—04—भू—अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025—26 में राशि का आवंटन विवरणी—

क्र.	उपायुक्त कार्यालय का नाम	DDO Code	वेतन
1	भू—अर्जन कार्यालय, गुमला	GMLSGS001	3350000
2	भू—अर्जन कार्यालय, धनबाद	DHNSGS001	17405
3	भू—अर्जन कार्यालय, गढ़वा	GRHSGS001	700000
4	भू—अर्जन कार्यालय, गोड्डा	GDDLDR002	1316400
5	भू—अर्जन कार्यालय, सिमडेगा	SDGLDR 003	2054000
कुल योग			**7437805**

14/10/2025

(चन्द्रशेखर)
सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।